भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 919
04 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

ग्रामीण खाद्य आपूर्ति-श्रृंखला अवसरंचना का सुदृढ़ीकरण

919. श्री सुखदेव भगत:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 में प्रमुखता से किए गए उल्लेख के अनुसार ग्रेडिंग केंद्र, पैकिंग इकाइयां, कंट्रोल्ड-एटमास्फियर भंडारण सुविधाएं, रीफर वैन और खाद्य-परीरक्षण प्रयोगशालाओं सहित ग्रामीण खाद्य आपूर्ति-श्रृंखला अवसरंचना में प्रमुख कमियों की जानकारी है और यदि हां, तो इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बहुत कम होने के क्या कारण हैं;
(ख) क्या सरकार ने इन अवसरंचनात्मक कमियों को दूर करने के लिए अपेक्षित सरकारी निवेश संबंधी कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा इन कमियों को दूर करने और पूरे देश में ग्रामीण खाद्य आपूर्ति-श्रृंखला अवसरंचना को सुदृढ़ करने के लिए क्या रूपरेखा तैयार की गई है और इसकी क्या समय-सीमा नियत की गई है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (ग): खाद्य आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना में अंतराल को दूर करने और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी दो केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं अर्थात् प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के माध्यम से संबंधित अवसंरचना की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। एमओएफपीआई एक केंद्रीय प्रायोजित योजना अर्थात् प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना को भी कार्यान्वित्त कर रहा है।

इन योजनाओं का उद्देश्य खेत से खुदरा दुकान तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना सृजित करना है, जिसमें भंडारण, परिवहन, मूल्य वर्धन आदि शामिल है जिससे किसानों को बेहतर आय मिलेगी, कृषि उपज का अपव्यय कम होगा, फसलोत्तर नुकसान कम होंगे, उत्पादकता बढ़ेगी और प्रसंस्करण स्तर बढ़ेगा।

एमओएफपीआई की योजनाएँ मांग आधारित हैं और इन योजनाओं के तहत स्वीकृत ज़्यादातर परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में अवसंरचना की कमियों को पूरा करने के लिए जन निवेश को बढ़ावा मिलता है। एमओएफपीआई स्वयं से खाद्य प्रसंसकरण इकाई नहीं स्थापित करता है। तथपि, यह अपनी योजनाओं के माध्यम से, संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, संबंधित अवसंरचना सृजित करने के लिए पात्र उद्यमियों को अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इन तीन योजनाओं के लिए कुल स्वीकृत व्यय इस तरह है :

योजना का नाम	**कार्यान्वयन अवधि**	**कुल परिव्यय (करोड़ रुपये में)**
पीएमकेएसवाई	2021-2026	6520
पीएलआईएसएफपीआई	2021-2027	10900
पीएमएफएमई	2020-2026	10000

*****